



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर

क्र. क्र. ६०३ अ.आ./मुख्या./12
प्रति,

रायपुर, दिनांक ७/११/२०१२

कार्यपालन अभियंता,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
संभाग - १/२/३/४ रायपुर/राजधानी परियोजना संभाग - १/२ रायपुर/ दुर्ग परियोजना दुर्ग/बिलासपुर/राजनांदगाव/रागयड/जगदलपुर/कोरबा ।

विषय:- भारत सरकार के पर्यावरण एवं मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना एस.ओ.1533(अ) दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के पालन बाबत।

संदर्भ:- सदस्य सचिव छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर का पत्र क्र.-3020, दिनांक 04.09.2012 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा उपरोक्तानुसार भारत सरकार के अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार आवासीय परियोजनाओं का निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि, संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न है, जिसमें प्रावधानों का विवरण है। इस अनुसार यदि आपके संभाग के अंतर्गत कोई परियोजना उक्त माप दण्ड के अंतर्गत हो जिसे प्रस्तावित किया जा रहा है। उसे पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये जाने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाये। इस स्वीकृति की प्रतिलिपि मुख्यालय में प्रस्तुत किया जावें।

संलग्न :- संदर्भित पत्र की प्रतिलिपि।

Bewk
11/11/12
अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, रायपुर

रायपुर, दिनांक ७/११/२०१२

पृ. क्र. ६०५ अ.आ./मुख्या./12

प्रतिलिपि:-

5807
15/11/12

- 1. निज सहायक, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
- 2. सदस्य सचिव छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कबीर नगर, व्यावसायिक परिसर, रायपुर
- 3. उपायुक्त-2, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।

*Website लिया गया, दोनों page
जल्दी*

*Commissioner
9.11.12*

Bewk
11/11/12
अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, रायपुर



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) 492 099

क्रमांक ३०२० / तक. / छ.ग.प.सं.म. / २०१२

रायपुर दिनांक ४९ / २०१२

प्रति,

1. संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश विभाग,
रायपुर (छ.ग.)
2. आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन, आर.डी.ए. बिल्डिंग,
रायपुर (छ.ग.)
3. आयुक्त,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल,
शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
रायपुर विकास प्राधिकरण,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना एसओ 1533 (अ) दिनांक 14/09/2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के पालन बाबत।

सन्दर्भ:- मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 5783 दिनांक 24/12/2011

-----:OO:-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना एसओ 1533 (अ) दिनांक 14/09/2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के पालन के संबंध में संदर्भित पत्र के अवलोकन का कष्ट करें। अभी भी ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही कि कई आवासीय परियोजनाओं का निर्माण कार्य बगैर पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रारंभ कर दिया गया है या प्रारंभ किया जा रहा है। संबंधित संस्थाओं का यह कृत्य पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 का उल्लंघन है। अत ऐसी परियोजनाएँ जिनमें :-

1. बिल्डिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट :- जिनको बिल्टअप एरिया (निर्मित क्षेत्र) 20,000 वर्ग मीटर अथवा इससे अधिक एवं 1,50,000 वर्ग मीटर से कम है।
2. टाउनशिप एण्ड एरिया डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट :- जिनका क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक हो एवं/अथवा बिल्टअप एरिया (निर्मित क्षेत्र) 1,50,000 वर्ग मीटर अथवा इससे अधिक हो।

को निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। अतः इस संबंध में आपके अधीनस्थ विभागों/निकायों को निर्देशित करें, ताकि वे इसका पालन सुनिश्चित करा सकें तथा उक्त के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी से अवगत कराने का भी कष्ट करें।

✓ AC/DC-1/DC-2/ Adm.O/CAO/ A/cO/ED/PA
2520 1-1-12
Barkur 6/19/12

Commissioner

Sh. Dule
Date
7/1/12

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
रायपुर (छ.ग)